प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत स्वयं शहर क्षेत्र में भ्रमणकर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा, ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश -

गोण्डा। आज दिनांक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील/पैदल गस्त कर नमाज को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों आदि स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर धर्मगुरूओं, नमाजियों, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी गई, सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की गई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाली मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जुम्मे की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराया गया।

इस दौरान निरी0 प्रज्ञान,प्रभारी निरीक्षक को0नगर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2025

पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक , पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल एवं डॉ० तन्वी जायसवाल (अध्यक्ष वामा सारथी) द्वारा पुलिस कार्यालय में बने वातानुकूलित क्रेच/शिशु गृह का किया गया उद्घाटन-

गोण्डा। आज दिनांक 11.04.2025 को पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अध्यक्ष वामासारथी श्रीमती तन्वी जायसवाल की गरिमामयी उपस्थिति में पुलिस कार्यालय में बने क्रेच/शिशु गृह का फीटा काटकर उ़द्घाटन किया गया । क्रेच/शिशु गृह का निर्माण वामा सारथी पुलिस वेल्फेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में श्रीमती तन्वी जायसवाल पत्नी श्री विनीत जायसवाल के प्रेरणा से कराया गया है । यह क्रेच/शिशु गृह विशेष रूप से ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों, खासकर महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों की देखभाल के लिए स्थापित किया गया है । इस पहल का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल की चिंता से मुक्त करना है । क्रेच/शिशु गृह बच्चों को समग्र विकास का बढावा देते हुए सुरक्षित और पोषणयुक्त वातावरण उपलब्ध करायेगा, जहां पर वे सुरक्षित रूप से खेल सकते है और सीख सकते है । महोदय द्वारा बताया गया कि यह क्रेच न केवल पुलिसकर्मियों के लिए एक सहायता केन्द्र होगा, बल्कि यह हमारें समाज में कार्यरत माता-पिता के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा । क्रेच/शिशु गृह को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है । जिसमें बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित देखभालकर्ता की व्यवस्था की गयी है । यह कदम पुलिस बल के कल्याण ओर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है । क्रेच को वातानुकूलित बनाया गया है जिसमें बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु बुक्स , खिलौने , पजल , एक्टिविटी टेबल आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्राइवेट फीडिंग रूम भी उपलब्ध है ।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी लाइन उदित नारायन पालीवाल, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से 05 हत्याभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 28,500-28,500/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.11.2018 को वादी रामदयाल पुत्र शिवप्रसाद मौर्या नि0 अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षीगणों द्वारा मेरे भाई व मेरे परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा जिससे मेरे भाई रमेश्वर प्रसाद की मृत्यु हो गयी। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना कौड़िया पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक विनय कुमार सरोज द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र 09.02.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट महोदय श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री मनमोहन मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कौड़िया के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 11.04.2025 को दोषी अभियुक्तगण- 01. मनीराम, 02. राजेश कुमार, 03. माधव प्रसाद, 04. माताप्रसाद, 05. सांवली प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास व 28,500-28,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. मनीराम पुत्र ठाकुर प्रसाद नि0 अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. राजेश कुमार पुत्र रामकैलाश नि0 अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. माधवप्रसाद पुत्र रामकैलाश नि0 अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
04. माताप्रसाद पुत्र मनीराम नि0 अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
05. सांवली प्रसाद पुत्र स्व0 बुधई नि0 अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-218/18 धारा 147,148,302,307,325,323,504,506 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.04.2025

थाना नवाबगंज पुुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय शातिर मोटरसाईकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे व निशानदेही से 10 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय मोटर साइकिल चोर- कमलेश पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम पूरे बालू तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को महंगूपुर मोड़ के पास से रात्रि चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानेदही से 10 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2025 की देर रात्रि थाना नवाबगंज के उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ महंगूपुर मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी। संदिग्ध दिखने पर अभियुक्त कमलेश पुत्र राजेन्द्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल व निशानदेही से 09 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को ग्राम पार्वती के पास खण्डहर से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर आर्थिक लाभ कमाने हेतु विभिन जनपदों से मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। उक्त अभियुक्त अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर जनपद गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, अयोध्या आदि जनपदों से मोटरसाईकिल चोरी कर उन्हें नेपाल राष्ट्र में बेच कर आर्थिक लाभ कमाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कमलेश पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम पूरे बालू तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 106/2025 धारा 317(2),317(4),318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण

1. सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP 42 AJ 6171 व चेचिस नं0 MBLJA05EMG952939 व इंजन नं0 JA05ECG9F52828,

2. काले रंग की हिरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 43 AH 1852 (यादव) लिखा चेचिस नम्बर घिस कर मिटाया गया व इंजन नम्बर HA11EDMHA07041

3. मोटरसाइकिल हिरो स्पलेण्डर प्लस व रंग काली सफेद पट्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 43 AB 3569 चेचिस नम्बर घिसकर मिटाया गया व इंजन नम्बर HA10ERGHF21841

4. मोटरसाइकिल हिरो सुपर स्प्लेण्डर व रंग काली व सफेद पट्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP43AB7469 जिसका चेचिस नम्बर घिस कर मिटाया गया व इंजन नम्बर JA05EC59603655,

5. मोटरसाइकिल हिरो सुपर स्प्लेण्डर व रंग काली सफेद पट्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP43,7955 चेचिस नम्बर MBLIA05EME9L26187 व इंजन नम्बर JA05ECE9L25141

6. मोटरसाइकिल हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस व रंग काला नीला सफेद पट्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 43 J 9970 चेचिस नम्बर 02M20F12927 जो अपूर्ण है। आगे का नम्बर खुरच कर मिटाया गया व इंजन नम्बर HA10EAAHCB4748

7. मोटरसाइकिल हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस व रंग काला नीला सफेद पट्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 42 N 3389 चेचिस नम्बर MBLHA10EZA9E00942 इंजन नम्बर HA10EFA9E01440,

8.मोटरसाइकिल हिरो सीडी डिलक्स व रंग काला लाल सफेद पट्टी, कोई नम्बर अंकित नही है । चेचिस नम्बर MBLHA11ATG9L34385 व इंजन नम्बर HA11EJG9L04279

9. मोटरसाइकिल हिरो पैशन प्रो व रंग काला जिस पर कोई रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नही है। जिसके चेचिस नम्बर व MBLHA10AWBHF01038 इंजन नम्बर HA10ENDHF16973

10. मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस व रंग काली सफेद पट्टी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 42 X 1543 चेचिस नम्बर MBLHAR076JHK66899 इंजन नम्बर HA10AGHKF2393

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि विभव सिंह।
03. उ0नि0 अमर पटेल।
04. हे0का0 योगेन्द्र नाथ यादव।
05. हे0 का0. दया यादव।
06. हे0का0 अभिषेक सिंह।
07. का0 रामवीर यादव।
08. का0 अभिषेक यादव।
09. का0 अमित सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एन्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा मनचलों/शोहदों के विरूद्ध फीडबैक फार्म भरवाकर जारी किए जा रहे रेडकार्ड के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी-

गोण्डा। आज दिनांक 11.04.2025 को क्षेत्राधिकारी लाइन उदित नारायन पालीवाल द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक स्तर पर महिलाओं/छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हे सशक्त बनाने की दिशा में गीता इण्टरनेशनल स्कूल की छात्राओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एन्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा मनचलों/शोहदों के विरूद्ध फीडबैक फार्म भरवाकर जारी किए जा रहे रेडकार्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जासससवाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु तथा मिशन शक्ति टीम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अभिनव प्रयोग किया गया है। जिसके तहत अब सभी एन्टी रोमियों स्क्वायड टीम स्कूल कॉलेजों में जा कर, वहां के प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा फीडबैक फॉर्म को छात्राओं के बीच वितरित करा के उनके बहुमूल्य सुझाव लिए जा रहे है। जिससे ऐसे स्थानों जहाँ पर शोहदों का जमावड़ा रहता है चिन्हित करने में मदद मिल रही है। फीडबैक से प्राप्त सुझावों के आधार पर चिन्हित समय व स्थानों पर एन्टी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढायी गयी है। छात्राओं द्वारा अपने फीडबैक में दिये गए सभी बिंदुओं को थानावार चिन्हित कर उनकी मैपिंग की जा रही है। जिससे सभी टीमों को शोहदों/मनचलो द्वारा छात्राओ/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी किये जाने वाले स्थानों की व्यापक जानकारी हो रही है। चिन्हित स्थानों पर पुलिस की एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम मनचलो को पकड़ कर रेड कार्ड दे रही है। अंतिम चेतावनी स्वरूप निर्गत रेड कार्ड पाने वाले शोहदे दुबारा इस तरह की हरकत करते पाये गये तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगी। छात्राओं/महिलाओं से फीडबैक प्राप्त करने का पुलिस का उद्देश्य यह है कि हम उन स्थानों को चिन्हित कर सके जहां मनचले लड़को का जामावड़ा लगा रहता है। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति में बालिकाओं और महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में गोण्डा पुलिस द्वारा ये पहल की जा रही है। तत्पचात एण्टीरोमियों टीम द्वारा छात्राओं को फीडबैक फार्म वितरित कराकर उनके बहुमूल्य सुक्षाव लिए गए तथा छात्राओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर चिन्हित स्थानों की मैपिंग करायी गयी। *उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.04.2025 को सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा कुल-06 स्कूल/कालेजों में पंहुचकर छात्रा/छात्राओं से करीब 1369 फीडबैक फार्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 24 स्थानों को चिन्हित कर मैपिंग करायी गयी

इस अवसर पर एण्टी रोमियों टीम प्रभारी म0उ0नि0 पूजा वर्मा सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-118/25, धारा 115(2),351(3),352,109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-साबिर अली पुत्र रहमत अली नि0 ग्राम दिनकरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को ग्राम मसकनवा मेन रोड से दिनकरपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.03.2025 को वादी अतुल कुमार यादव पुत्र घनश्याम यादव नि0 दिनकरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा मुझे व उसके परिजनों को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा जिससे मेरे पुत्र को गम्भीर चोटे आयी है। वादी की तहरीर पर थाना को0 मनकापुर में 04 नामजद अभियुक्तों को विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 11.04.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त साबिर अली पुत्र रहमत अली नि0 ग्राम दिनकरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को ग्राम मसकनवा मेन रोड से दिनकरपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. साबिर अली पुत्र रहमत अली नि0 ग्राम दिनकरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-118/25, धारा 115(2),351(3),352,109(1) बीएनएस थाना मनकापुर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 उमेश सिंह।
02. हे0का0 श्री निवास चन्द्र।
03. का0 सत्यवीर सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2025

बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बालश्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत-

गोण्डा। आज दिनांक 11.04.2025 को शासन द्वारा चलाए जा रहे बालश्रम मुक्त अभियान के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों, होटलों और रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गयी। जिला को-आर्डिनेटर आशीष मिश्रा बालश्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम करते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया।

इस मौके पर थाना ए0एच0टी0यू0 प्रभारी श्री लाल बिहारी, उ0नि0 हरेंद्र प्रसाद, म0का0 प्रिया यादव, म0का0 अमिता आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोण्डा।